हिन्दुस्तानी आईन (Constitution) में मुसलमानों के हुक़ूक़ और उनका तहफ़्फ़ुज़: एक जायज़ा

लेखक/विचारक: डॉ सैयद नासिर शाह

हिन्दुस्तान का आईन (Constitution) एक सेक्युलर (मज़हबी तौर पर ग़ैर जानिबदार) दस्तावेज़ है जो अपने हर नागरिक, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब, ज़ात या नस्ल से हो, बराबरी और तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी देता है। आईन बनाते वक़्त इस बात का ख़ास ख़याल रखा गया था कि अक़्लियतों (minorities), जिनमें मुसलमान सबसे बड़ी अक़्लियत हैं, उनके हुक़ूक़ महफ़ूज़ रहें। लेकिन तारीख़ गवाह है कि आईन में मौजूद हुक़ूक़ और ज़मीनी हक़ीक़त में कई बार बहुत बड़ा फ़र्क़ देखा गया है।

मेरी सोच और मेरे शब्दों मैं नीचे इस मौज़ू पर आपके सामने तफ़्सीली मज़मून पेश है जिसमें आईनी हुक़ूक़, उनके तहफ़्फ़ुज़, और मुख़्तलिफ़ दौर में उनकी ख़िलाफ़ वर्ज़ी का ज़िक्र किया गया है।

आईन (Constitution) में मुसलमानों के बुनियादी हुक़ूक़

हिन्दुस्तानी आईन के "Part III" में बुनियादी हुक़ूक़ (Fundamental Rights) दर्ज हैं, जिन्हें कोई भी आम क़ानून आसानी से ख़त्म नहीं कर सकता। मुसलमानों को बा-हैसियत नागरिक और अक़्लियत यह हुक़ूक़ हासिल हैं:

* **Article 14 और 15 (बराबरी का हक़):** क़ानून के सामने सब बराबर हैं। किसी भी शख़्स के साथ उसके मज़हब, ज़ात, या जन्म स्थान की बुनियाद पर भेदभाव (discrimination) नहीं किया जा सकता।

* **Article 21 (जीने का हक़):** हर शख़्स को अपनी जान और आज़ादी (life and personal liberty) का हक़ है। किसी की जान आईन के तय शुदा क़ानून के बग़ैर नहीं ली जा सकती।

* **Article 25 से 28 (मज़हबी आज़ादी का हक़):** हर मुसलमान को अपना मज़हब मानने, उस पर अमल करने (जिसमें नमाज़, रोज़ा, हज आदि शामिल हैं) और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी है।

* **Article 29 और 30 (तालिमी और सक़ाफ़ती हुक़ूक़):** अक़्लियतों को अपनी ज़बान, रस्म-ओ-रिवाज़ और सक़ाफ़त को बचाने का हक़ है। Article 30 मुसलमानों को अपने तालिमी इदारे (जैसे मदारिस या Minority Institutions) खोलने और चलाने का हक़ देता है।

वह क़ानून जिनका तहफ़्फ़ुज़ कोई हुकूमत नहीं तोड़ सकती:

आईन का Article 32 हर नागरिक को यह हक़ देता है कि अगर उसके इन बुनियादी हुक़ूक़ का हनन (violation) हो, तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने "Basic Structure Doctrine" (Kesavananda Bharati case 1973) के तहत यह तय किया है कि आईन का सेक्युलरिज्म और बुनियादी हुक़ूक़ का ढांचा कोई भी हुकूमत, चाहे उसके पास कितनी ही बड़ी मेजॉरिटी हो, बदल नहीं सकती।

आईन की ख़िलाफ़ वर्ज़ी: हुकूमती ना-अहली और ज़ुल्म की तारीख़

आज़ादी के बाद से कई सरकारें आईं जिन्होंने कभी सीधे तौर पर और कभी अपनी ना-अहली से मुसलमानों के हुक़ूक़ को रौंदने का काम किया:

मुज़फ़्फ़रनगर नसबंदी फ़ायरिंग (1976): इमरजेंसी (कांग्रेस हुकूमत) के दौर में जब ज़बरदस्ती नसबंदी की मुहीम चलाई गई, तब एहतेजाज करने पर पुलिस ने आम शहरियों (ख़ास कर मुसलमानों) पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। यह Article 21 का खुला क़त्ल था।

मुरादाबाद ईदगाह मैसेकर (1980): यूपी में कांग्रेस की सरकार थी। ईद के दिन ईदगाह में पीएसी (PAC) ने नमाज़ियों पर सीधी फ़ायरिंग की, जिसमें सैकड़ों मुसलमान शहीद हुए। यह पुलिस और रियासत की तरफ़ से आम लोगों पर सीधा हमला था।

हाशिमपुरा मैसेकर (1987): पीएसी के जवानों ने मेरठ के हाशिमपुरा से दर्जनों बेगुनाह मुसलमान नौजवानों को उठा कर उनका क़त्ल किया।

बाबरी मस्जिद की शहादत (1992): यूपी में बीजेपी और मरकज़ में कांग्रेस की हुकूमत थी। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने के बावजूद हुकूमत ने इस तारीखी मस्जिद को टूटने से नहीं बचाया।

गुजरात फ़सादात (2002): बीजेपी की हुकूमत में हज़ारों मुसलमान मारे गए। हुकूमत पर इल्ज़ाम साबित हुए कि उन्होंने वक़्त पर अपना आईनी फ़र्ज़ अदा नहीं किया।

मुज़फ़्फ़रनगर फ़सादात (2013): समाजवादी पार्टी की हुकूमत में सियासी फ़ायदे के लिए एक छोटे झगड़े को बड़ा फ़साद बना दिया गया। 50,000 मुसलमान बे-घर होकर कैंप्स में रहने पर मजबूर हुए।

1. आईनी हुक़ूक़ होते हुए भी पसमांदगी (Socio-Economic Marginalization)

मुसलमानों को आईन में बराबरी मिली, लेकिन सरकारों ने उन्हें उनका हक़ नहीं दिया।

* **सच्चर कमेटी रिपोर्ट (2006):** यूपीए (कांग्रेस) सरकार के दौर में आई इस रिपोर्ट ने पोल खोल दी कि 60 साल की हुकूमतों ने मुसलमानों को तालीम, नौकरियों और बैंक लोन में कितना पीछे रखा है। उनकी हालत दलितों से भी बदतर बताई गई। हुकूमतों ने आईन के Article 14 और 16 का फ़ायदा मुसलमानों तक नहीं पहुँचने दिया।

3. क़ानून के ज़रिये आईन को रौंदना (Recent Developments)

पिछले कुछ सालों में ऐसे क़ानून और फ़ैसले आए हैं जिनपर क़ानून-दानों (legal experts) और मुसलमानों का मानना है कि यह उनके आईनी हुक़ूक़ पर खुला हमला है:

* **सीएए (Citizenship Amendment Act, 2019):** मौजूदा बीजेपी सरकार ने यह क़ानून लाया। तारीख़ में पहली बार किसी क़ानून में मज़हब को नागरिकता (citizenship) की बुनियाद बनाया गया, जिसमें मुसलमानों को बाहर रखा गया। यह आईन के Article 14 (बराबरी) के ख़िलाफ़ माना जाता है क्योंकि आईन किसी मज़हब के नाम पर फ़र्क़ नहीं करता।

* **बुलडोज़र जस्टिस और यूएपीए (UAPA):** हाल ही के वाक़ियात में (ख़ास कर यूपी, एमपी, और दीगर रियासतों में) बग़ैर अदालती कार्रवाई (due process) के मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाना Article 21 का खुला वायलेशन है। पोटा, टाडा, और अब यूएपीए जैसे सख़्त क़ानूनों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा अक़्लियतों की आवाज़ दबाने के लिए किया गया है।

* **मज़हबी आज़ादी पर हमले:** "लव जिहाद" के नाम पर बनाए गए नए क़ानून, हिजाब पर पाबंदी (कुछ रियासतों में), और मदारिस के सर्वे—यह सब Article 25 और 30 को कमज़ोर करने की कोशिशें हैं।

इन परेशानियों का हल: मुसलमान अपना दिफ़ा (बचाव) कैसे करें?

नतीजे (Conclusion) से पहले यह समझना निहायत ज़रूरी है कि इन मुश्किलात और नाइंसाफ़ियों का मुक़ाबला कैसे किया जाए। एक जम्हूरी (democratic) निज़ाम में अपने आईनी हुक़ूक़ का दिफ़ा करने के लिए दर्ज-ज़ैल क़दम उठाना लाज़मी हैं:

- **आला तालीम और क़ानूनी बेदारी (Education & Legal Awareness):**
    - सिर्फ़ रिवायती तालीम काफ़ी नहीं है। क़ौम के नौजवानों को क़ानून (Law), सहाफ़त (Journalism), और सिविल सर्विसेज़ में आगे आना होगा।
    - हर शहर और मोहल्ले में "लीगल सेल" क़ायम किए जाएं जो मजलूम और ग़रीब लोगों को मुफ़्त क़ानूनी मदद फ़राहम कर सकें, ताकि यूएपीए (UAPA) या बुलडोज़र आतंक जैसी कार्रवाइयों का फ़ौरन अदालत में मुक़ाबला किया जा सके।

- **सियासी शऊर और इत्तेहाद (Political Consciousness):**
    - मुसलमानों को महज़ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का "वोट बैंक" बनने के बजाय, अपने मुद्दों पर सियासी बार्गेनिंग करनी होगी।
    - देश के दीगर पसमांदा तबक़ात (जैसे दलित, आदिवासी और दूसरी अक़्लियतें) के साथ मिलकर एक मज़बूत इत्तेहाद (alliance) बनाना होगा ताकि आईन को कमज़ोर करने वाली ताक़तों का झुंड में मुक़ाबला हो सके।

- **माशी मज़बूती (Economic Empowerment):**
    - सरकारी नौकरियों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी तिजारत (business), स्टार्टअप्स और रोज़गार के नए रास्ते तलाश करने होंगे।
    - बड़े पैमाने पर को-ऑपरेटिव सोसायटीज़ और फंड्स क़ायम करके क़ौम के ग़रीब तबक़े को माली तौर पर ख़ुद-मुख़्तार (self-reliant) बनाना होगा।

- **मीडिया और नैरेटिव पर काम:**
    - मेनस्ट्रीम मीडिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ चलने वाले प्रोपेगैंडा का जवाब सड़कों पर जज़्बात से नहीं, बल्कि हक़ायक़ (facts) और दलील से देना होगा।
    - अपने ख़ुद के मज़बूत, आज़ाद और प्रोफेशनल मीडिया इदारे (institutions) खड़े करने होंगे ताकि क़ौम की सही तस्वीर दुनिया के सामने पेश की जा सके।

- **पुर-अमन आईनी एहतेजाज (Peaceful Constitutional Protest):**
    - अपने हुक़ूक़ के लिए आवाज़ उठाना और एहतेजाज (protest) करना आईनी हक़ है। CAA-NRC के ख़िलाफ़ औरतों का पुर-अमन एहतेजाज इसकी एक बेहतरीन मिसाल था।
    - हर तरह का दिफ़ा और एहतेजाज हमेशा क़ानून के दायरे में और पुर-अमन होना चाहिए, ताकि हुकूमत या पुलिस को ज़्यादती या कार्रवाई का कोई बहाना न मिल सके।

नतीजा (Conclusion)

हिन्दुस्तान का आईन अपनी जगह बहुत मज़बूत है। इसने मुसलमानों को बराबर का हक़ दिया है और यही वजह है कि जब भी ज़ुल्म होता है, आईन और अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। लेकिन हक़ीक़त यह भी है कि आईन ख़ुद चल कर नहीं आता; इसको नाफ़िज़ करने वाली हुकूमतें, पुलिस और नेता होते हैं।

आज़ादी से लेकर आज तक, चाहे वह सो-कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां (जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी) हों जिन्होंने उन्हें सिर्फ़ वोट बैंक समझा और वक़्त आने पर फ़सादात होने दिए, या राइट-विंग पार्टियां (जैसे बीजेपी) हों जिन्होंने अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए डायरेक्ट उन्हें टारगेट किया—हर दौर में मुसलमानों को उनके आईनी हक़ से महरूम रखने की कोशिश की गई।

इस ज़ुल्म और आईन की ख़िलाफ़ वर्ज़ी का मुक़ाबला सिर्फ़ तालीम, क़ानूनी दांव-पेंच की समझ, और जम्हूरी (democratic) तरीक़े से अपने हुक़ूक़ के लिए आवाज़ उठाने से ही किया जा सकता है।